संख्या-394/2023/406/22-2-2023-17(253)/2023

प्रेषक,

कृष्ण कुमार सिंह,
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 *लखनऊ दिनांक 22 जून, 2023*

विषय:- केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध मुकद्दम उर्फ शाहआलम पुत्र नत्थू भुर्जी, निवासी जनपद-बुलन्दशहर की फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक(मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या-5535/प्रोबेशन-3-फार्म-ए/(एम-08-02-2023) दिनांक-20-02-2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध मुकद्दम उर्फ शाहआलम पुत्र नत्थू भुर्जी, जो नबादा, थाना-चांदपुर देहात, जनपद-बुलन्दशहर का रहने वाला है। बंदी द्वारा दिनांक 23.03.2004 को अपने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर डेढ़ लाख रूपये की फिरौती के लिए रामकिशन उर्फ पप्पू नामक व्यक्ति का अपहरण कर लिया तथा कीटनाशक मिली शराब पिलाकर बेहोश कर गला दबाकर हत्या कर दी गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-145/2004 में भा0द0वि0 की धारा-354ए के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश/स्पेश्ल जज(दस्यु प्रभावित क्षेत्र), बदायूं के आदेश दिनांक 17-10-2013 के द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 27.04.2022 तक 16 वर्ष, 09 माह, 20 दिन की अपरिहार सजा तथा 19 वर्ष, 07 माह, 23 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बरेली द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने का अंकन करते हुए बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी द्वारा दिनांक 27-04-2022 तक 16 वर्ष 09 माह 20 दिन की अपरिहार तथा 19 वर्ष 07 माह 23 दिन की सपरिहार भोगी गई लम्बी सजावधि, आयु, जेल आचरण सन्तोषजनक होने, जमानत पर रिहा किये जाने, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बरेली द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने का कोई ठोस तथ्यात्मक आधार/आख्या अंकित नहीं किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज ऑन प्रोबेशन एक्ट 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी मुकद्दम उर्फ शाहआलम पुत्र नत्थू भुर्जी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति की गयी है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध मुकद्दम उर्फ शाहआलम (बन्दी संख्या-47755) पुत्र नत्थू भुर्जी, निवासी जनपद-बुलन्दशहर की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई स्वीकार किये जाने की संस्तुति को यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 मे निहित प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

संख्या-394/2023/406/22-2-2023 तद्दिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बुलन्दशहर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को मिसलेनियस एप्लीकेशन सं0-2169/2022 राजकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य अन्तर्गत रिट याचिका (क्रि0) सं0-36/2022 में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 06-02-2023 के समादर में आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
अजय कुमार तिवारी
अनु सचिव।

शासनादेश संख्या-394/2023/406/22-2-2023-17(253)/2023

दिनांक 22 जून, 2023 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध मुकद्दम उर्फ शाहआलम पुत्र नत्थू भुर्जी, जो नबादा, थाना-चांदपुर देहात, जनपद-बुलन्दशहर का रहने वाला है। बंदी द्वारा दिनांक 23.03.2004 को अपने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर डेढ़ लाख रूपये की फिरौती के लिए रामकिशन उर्फ पप्पू नामक व्यक्ति का अपहरण कर लिया तथा कीटनाशक मिली शराब पिलाकर बेहोश कर गला दबाकर हत्या कर दी गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-145/2004 में भा0द0वि0 की धारा-354ए के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश/स्पेश्ल जज(दस्यु प्रभावित क्षेत्र), बदायूं के आदेश दिनांक 17-10-2013 के द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 27.04.2022 तक 16 वर्ष, 09 माह, 20 दिन की अपरिहार सजा तथा 19 वर्ष, 07 माह, 23 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बरेली द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने का अंकन करते हुए बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी द्वारा दिनांक 27-04-2022 तक 16 वर्ष 09 माह 20 दिन की अपरिहार तथा 19 वर्ष 07 माह 23 दिन की सपरिहार भोगी गई लम्बी सजावधि, आयु, जेल आचरण सन्तोषजनक होने, जमानत पर रिहा किये जाने, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बरेली द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने का कोई ठोस तथ्यात्मक आधार/आख्या अंकित नहीं किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज ऑन प्रोबेशन एक्ट 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी मुकद्दम उर्फ शाहआलम पुत्र नत्थू भुर्जी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उक्त बन्दी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई स्वीकार किये जाने की संस्तुति को यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 मे निहित प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है।

कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव